

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/319

रीवा दिनांक : 6-5-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
सोहागी कालेज आफ एजुकेशन
खटिया, सोहागी, जिला रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2020-2021 विषयक।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभवन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए.-3/2020 दिनांक 19-4-2020, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 1-6-2020 एवं पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 18-6-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-07-2020 के आइटम क्रमांक 9 की अनुशंसा तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक 07 दिसम्बर 2020 के निर्णयानुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2020-2021 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1.	बी.एड.-दो वर्षीय पाठ्यक्रम-100सीट।
2.	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र, कम्प्यूटर (अतिरिक्त विषय), इतिहास, भूगोल-60-60सीट।
3.	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय, (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर-60-60सीट।
4.	बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-समस्त अनिवार्य विषय-60-60सीट।
5.	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, भौतिक, गणित, रसायन, (अतिरिक्त विषय) बाटनी, जुलाजी, बायोटेक्नालाजी, कम्प्यूटर-60-60सीट।
6.	बी.एच.एससी. प्रथम, द्वितीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-60-60सीट।

नोट -

1. पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या में वृद्धि करें।
2. क्रीडांगन की समुचित व्यवस्था करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2021-2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव 6.5.21

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा, गोपनीय।
2. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
4. कुलपति जी के सचिव/ कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/320

रीवा दिनांक : 6-5-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
स्वामी नारायण दास शिक्षा महाविद्यालय
मैहर, जिला सतना (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2020-2021 विषयक।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभवन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए.-3/2020 दिनांक 19-4-2020, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 1-6-2020 एवं पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 18-6-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-07-2020 के आइटम क्रमांक 9 की अनुशंसा तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक 07 दिसम्बर 2020 के निर्णयानुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2020-2021 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -


क्र.	कक्षा/विषय
1.	बी.एड. दो वर्षीय पाठ्यक्रम-एक यूनिट-50सीट।
2.	बी.ए.बी.एड. चार वर्षीय पाठ्यक्रम-एक यूनिट-50सीट।

नोट -

1. एन.सी.टी.ई. नार्म्स/कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शेष शिक्षकों की नियुक्ति करें।


उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2021-2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,


कुलसचिव 6.5.21

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा, गोपनीय।
2. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
4. कुलपति जी के सचिव/ कुलसचिव के निज सहायक।


सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/323

रीवा दिनांक : 17-5-2021

प्रति,

प्राचार्य
रेवांचल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नालाजी
लालगांव, जिला रीवा (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2020-2021 बावत।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभवन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए.-3/2020 दिनांक 19-4-2020, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 1-6-2020 एवं पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 18-6-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-07-2020 के आइटम क्रमांक 9 की अनुशंसा तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक 07 दिसम्बर 2020 के निर्णयानुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2020-2021 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है -


क्र.	कक्षा/विषय
1.	बी.ए.बी.एड. (चार वर्षीय पाठ्यक्रम) चतुर्थ वर्ष-100सीट।

नोट -

1. एन.सी.टी.ई. नार्म्स/कालेज कोड 28 के अन्तर्गत समुचित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. पुस्तकालय, क्रीड़ा गतिविधि एवं अधीनस्थ स्टाफ का विस्तार करें।


उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2021-2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,


कुलसचिव 13.5.21

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा सभाग, रीवा।
3. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
4. उप कुलसचिव - परीक्षा, गोपनीय, प्रशासन, अकादेमिक।
5. वित्त नियंत्रक।
6. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
7. कुलपति जी के सचिव।
8. कुलसचिव के निज सहायक।
9. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।


सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/326

रीवा दिनांक : 20-5-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य

ए. रामसुन्दर शुक्ला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, पहडिया, जिला रीवा (म.प्र.)

पूर्व नाम - अरुण तिवारी स्मृति महाविद्यालय, पहडिया, जिला रीवा (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2020-2021 विषयक।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजनवन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए.-3/2020 दिनांक 19-4-2020, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 1-6-2020 एवं पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 18-6-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-07-2020 के आइटम क्रमांक 9 की अनुशंसा तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक 07 दिसम्बर 2020 के निर्णय के अनुक्रम में प्राचार्य द्वारा दिया गया शपथपत्र दिनांक 06-05-2021 के परिप्रेक्ष्य में माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 06-05-2021 एवं 17-05-2021 के अनुसार आपके महाविद्यालय को सत्र 2020-2021 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.ए. भाग 1,2,3 - आधार पाठ्यक्रम, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, हिन्दी साहित्य, भूगोल, इतिहास, अंग्रेजी-60-60सीट।
2	बी.एससी. भाग 1,2,3 - आधार पाठ्यक्रम, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जन्तु विज्ञान, वनस्पतिशास्त्र, गणित, भूगर्भ विज्ञान एवं कम्प्यूटर साइंस-50-50सीट।
3	बी.ए. भाग एक - संस्कृत (अतिरिक्त विषय)-60सीट।
4	बी.काम. भाग एक, दो, तीन - अनिवार्य विषय-60-60सीट।
5	बी.सी.ए. भाग एक, दो, तीन-60-60सीट।
6	एम.एससी. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध रसायनशास्त्र, गणित-30-30सीट।
7	एम.ए. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध समाजशास्त्र, अंग्रेजी-30-30सीट।
8	बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-60-60सीट।
9	एम.एस.डब्ल्यू. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध-30-30सीट।
10	एम.काम. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध-30-30सीट।
11	बी.ए.बी.एड. चार वर्षीय पाठ्यक्रम-50सीट।
12	बी.एससी.बी.एड. चार वर्षीय पाठ्यक्रम-50सीट।

नोट -

1. पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेलकूद की फील्ड विकसित एवं सुसज्जित करें।


उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2021-2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जायेगी।

आदेशानुसार,


कुलसचिव 20.5.21

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा, गोपनीय।
2. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।


20/5/21

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/327

रीवा, दिनांक : 24-5-2021

प्रति,

अध्यक्ष
शासी निकाय
नवोदय महाविद्यालय, चुरहट
जिला सीधी (म.प्र.)

विषय :- कारण बताओ नोटिस।


- संदर्भ :-
- (1) विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक/विकास/2020/118 दिनांक 03.07.20
 - (2) विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक/विकास/2020/161 दिनांक 23.09.20
 - (3) विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक/विकास/2021/04 दिनांक 04.01.21
 - (4) विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक/विकास/2021/24 दिनांक 23.01.21

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि नवोदय महाविद्यालय, चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.) का सत्र 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 की सम्बद्धता आवेदन/सम्बद्धता शुल्क तथा जी.एस.टी. शुल्क की राशि रुपये 3,75,400=00 (तीन लाख पचहत्तर हजार चार सौ रुपये) मात्र अद्यावधि जमा नहीं करायी गयी है।


अतः कारण बताओ नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त राशि दस दिवस के अन्दर विश्वविद्यालय में जमा कराने की व्यवस्था करे अन्यथा सत्र 2021-2022 से महाविद्यालय का नाम पोर्टल से हटाया जाकर परिनियम 27 के अनुसार सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी, जिससे भविष्य में होने वाली वैधानिक कठिनाइयों के लिये महाविद्यालय स्वयं जवाबदार होगा।

आदेशानुसार,


कुलसचिव 21.5.21
श्री

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. प्राचार्य, नवोदय महाविद्यालय, चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.)।
2. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
4. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
5. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।


सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/328

रीवा, दिनांक : 24-5-2021

प्रति,

अध्यक्ष
शासी निकाय
डॉ. सी.पी. तिवारी स्मृति महाविद्यालय
अमझोर, जिला शहडोल (म.प्र.)

विषय :- कारण बताओ नोटिस।


- संदर्भ :-
- (1) विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक/विकास/2020/118 दिनांक 03.07.20
 - (2) विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक/विकास/2020/161 दिनांक 23.09.20
 - (3) विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक/विकास/2021/04 दिनांक 04.01.21
 - (4) विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक/विकास/2021/24 दिनांक 23.01.21

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि डॉ. सी.पी. तिवारी स्मृति महाविद्यालय, अमझोर, जिला शहडोल (म.प्र.) का सत्र 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 की सम्बद्धता आवेदन/सम्बद्धता शुल्क तथा जी.एस.टी. शुल्क की राशि रुपये 1,63,700=00 (एक लाख तिरसठ हजार सात सौ रुपये) मात्र अध्यावधि जमा नहीं करायी गयी है।

अतः कारण बताओ नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त राशि दस दिवस के अन्दर विश्वविद्यालय में जमा कराने की व्यवस्था करे अन्यथा सत्र 2021-2022 से महाविद्यालय का नाम पोर्टल से हटाया जाकर परिनियम 27 के अनुसार सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी, जिससे भविष्य में होने वाली वैधानिक कठिनाइयों के लिये महाविद्यालय स्वयं जवाबदार होगा।

आदेशानुसार,


कुलसचिव 24.5.21
HK

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. प्राचार्य, डॉ. सी.पी. तिवारी स्मृति महाविद्यालय, अमझोर, जिला शहडोल (म.प्र.)।
2. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
4. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
5. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।


सहायक कुलसचिव (विकास)
HK

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ 329

रीवा, दिनांक : 24-5-2021

प्रति,

अध्यक्ष
शासी निकाय
श्री सांईराम महाविद्यालय, ऐंठी, गोपदबनास,
जिला सीधी (म.प्र.)

विषय :- कारण बताओ नोटिस।


- संदर्भ :-
- (1) विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक/विकास/2020/118 दिनांक 03.07.20
 - (2) विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक/विकास/2020/161 दिनांक 23.09.20
 - (3) विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक/विकास/2021/04 दिनांक 04.01.21
 - (4) विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक/विकास/2021/24 दिनांक 23.01.21

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि श्री सांईराम महाविद्यालय, ऐंठी, गोपदबनास, जिला सीधी (म.प्र.) का सत्र 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 की सम्बद्धता आवेदन/सम्बद्धता शुल्क तथा जी.एस.टी. शुल्क की राशि रुपये 3,72,900=00 (तीन लाख बहत्तर हजार नौ सौ रुपये) मात्र अद्यावधि जमा नहीं करायी गयी है।


अतः कारण बताओ नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त राशि दस दिवस के अन्दर विश्वविद्यालय में जमा कराने की व्यवस्था करे अन्यथा सत्र 2021-2022 से महाविद्यालय का नाम पोर्टल से हटाया जाकर परिणियम 27 के अनुसार सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी, जिससे भविष्य में होने वाली वैधानिक कठिनाइयों के लिये महाविद्यालय स्वयं जवाबदार होगा।

आदेशानुसार,


कुलसचिव 21.5.21

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. प्राचार्य, श्री सांईराम महाविद्यालय, ऐंठी, गोपदबनास, जिला सीधी (म.प्र.)।
2. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
4. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
5. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।


सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/330

रीवा, दिनांक : 24-5-2021

प्रति,

अध्यक्ष
शासी निकाय
श्री रामहर्षण देवाचार्य महाविद्यालय, खजुहा कला
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :- कारण बताओ नोटिस।


- संदर्भ :-
- (1) विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक/विकास/2020/118 दिनांक 03.07.20
 - (2) विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक/विकास/2020/161 दिनांक 23.09.20
 - (3) विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक/विकास/2021/04 दिनांक 04.01.21
 - (4) विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक/विकास/2021/24 दिनांक 23.01.21

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि श्री रामहर्षण देवाचार्य महाविद्यालय, खजुहा कला, जिला रीवा (म.प्र.) का सत्र 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 की सम्बद्धता आवेदन/सम्बद्धता शुल्क तथा जी.एस.टी. शुल्क की राशि रुपये 4,44,300=00 (चार लाख चौवालिस हजार तीन सौ रुपये) मात्र अद्यावधि जमा नहीं करायी गयी है।


अतः कारण बताओ नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त राशि दस दिवस के अन्दर विश्वविद्यालय में जमा कराने की व्यवस्था करे अन्यथा सत्र 2021-2022 से महाविद्यालय का नाम पोर्टल से हटाया जाकर परिनियम 27 के अनुसार सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी, जिससे भविष्य में होने वाली वैधानिक कठिनाइयों के लिये महाविद्यालय स्वयं जवाबदार होगा।

आदेशानुसार,


कुलसचिव 21.5.21

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. प्राचार्य, श्री रामहर्षण देवाचार्य महाविद्यालय, खजुहा कला, जिला रीवा (म.प्र.)।
2. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
4. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
5. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रमारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।


सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/331

रीवा, दिनांक : 24-5-2021

प्रति,

अध्यक्ष
शासी निकाय
पं. रामगोपाल तिवारी महाविद्यालय, सोहागपुर,
जिला शहडोल (म.प्र.)

विषय :- कारण बताओ नोटिस।


- संदर्भ :-
- (1) विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक/विकास/2020/118 दिनांक 03.07.20
 - (2) विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक/विकास/2020/161 दिनांक 23.09.20
 - (3) विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक/विकास/2021/04 दिनांक 04.01.21
 - (4) विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक/विकास/2021/24 दिनांक 23.01.21

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि पं. रामगोपाल तिवारी महाविद्यालय, सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.) का सत्र 2016-2017, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 की सम्बद्धता आवेदन/सम्बद्धता शुल्क तथा जी.एस.टी. शुल्क की राशि रुपये 6,27,000=00 (छ: लाख सत्ताइस हजार रुपये) मात्र अद्यावधि जमा नहीं करायी गयी है।

अतः कारण बताओ नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त राशि दस दिवस के अन्दर विश्वविद्यालय में जमा कराने की व्यवस्था करे अन्यथा सत्र 2021-2022 से महाविद्यालय का नाम पोर्टल से हटाया जाकर परिनियम 27 के अनुसार सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी, जिससे भविष्य में होने वाली वैधानिक कठिनाइयों के लिये महाविद्यालय स्वयं जवाबदार होगा।


आदेशानुसार,


कुलसचिव 21.5.21

RK

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. प्राचार्य, पं. रामगोपाल तिवारी महाविद्यालय, सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.)।
2. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
4. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
5. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।


सहायक कुलसचिव (विकास)

RK